



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति

Chancellor

डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय,

University,

राज भवन, जयपुर - 302006

Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक: एफ.54(1)राभ / 2020 / 1447

दिनांक: 27 फरवरी, 2020

आदेश

डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 11(17) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कलराज मिश्र, कुलाधिपति, डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर राज्य सरकार के परामर्श से डॉ० देव स्वरूप, अतिरिक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को कार्य ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अनधिक अवधि के लिए डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर का प्रथम कुलपति नियुक्त करता हूँ।

हस्ता०

(कलराज मिश्र)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक एफ.54(1)राभ/2020/1448

दिनांक: 27 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. डॉ० देव स्वरूप, अतिरिक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5. कुलसचिव, डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।



सचिव, राज्यपाल